न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रायपुर जिला भीलवाड़ा
पीठासीन अधिकारीः—सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः—14 / 2015 (2015 / 00099) प्रार्थना पत्र

उनवान

1—बेणीराम आत्मज हेमराज ब्राहम्ण निवासी रेवाड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रार्थी

बनाम

1—उदयलाल आत्मज उंकारलाल ब्राहम्ण निवासी रेवाड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2—विमलादेवी पत्नि जगन्नाथ ब्राहम्ण निवासी रेवाड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3—बंशीलाल आत्मज किशनलाल ब्राहम्ण निवासी रेवाड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4—शान्तिलाल आत्मज किशनलाल ब्राहम्ण निवासी रेवाड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5—नन्दलाल आत्मज किशनलाल ब्राहम्ण निवासी रेवाड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
6—प्रकाश आत्मज किशनलाल ब्राहम्ण निवासी रेवाड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
7—गीता बेवा किशनलाल ब्राहम्ण निवासी रेवाड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
8—गोकल आत्मज उदयलाल ब्राहम्ण निवासी रेवाड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
9—रामलाल आत्मज उदयलाल ब्राहम्ण निवासी रेवाड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
10—नोजी बेवा नानुराम ब्राहम्ण निवासी रेवाड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
11—स्याणीबाई पत्नि मोतीलाल ब्राहम्ण निवासी रेवाड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
12—एस.बी.बी.जे. शाखा आमली तहसील सहाड़ा जरिये शाखा प्रबन्धक
13—बैक ऑफ बड़ौदा शाखा रायपुर तहसील रायपुर जरिये शाखा प्रबन्धक
14—बैक ऑफ बड़ौदा शाखा आशाहोली तहसील रायपुर जरिये शाखा प्रबन्धक
15—राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम

निर्णय

दिनांक—06.08.2020

पत्रावली आज पेश हुई। प्रकरण का सक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि ग्राम रेवाड़ा पटवार हल्का बोरियापुरा तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी में उंकारलाल बेणीराम आत्मज हेमराज ब्राहम्ण के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की साबिक आराजी संख्या 281 रकबा 1 बीघा 18 बिस्वा भूमि अन्य आराजियात के साथ स्थित थी प्रमाण में नकल जमाबन्दी प्रस्तुत की है। ग्राम रेवाड़ा का नवीन भू प्रबन्ध हुआ जिसमे साबिक आराजी संख्या 281मी के नवीन नम्बर आराजी संख्या 770 रकबा 0.20 है0 771 रकबा 0.21 है0 कायम किये गये साबिक आराजी संख्या 281 के साबिक नक्शे में पश्चिम तरफ साबिक आराजी संख्या 282 व 283 स्थित थी। भू प्रबन्ध अधिकारियो द्वारा साबिक नक्शे के अनुरूप कायम नही कर नवीन आराजी संख्या 770 के नक्शे को छोटा कर विपक्षीगण संख्या 3 लगायत 11 की नवीन आराजी संख्या 758 व 759 में मिला दिया जबकि साबिक आराजी संख्या 281मी का नक्शा समचौरस था। अतः सादर प्रार्थना है कि प्रार्थी की साबिक आराजी संख्या 281मी ग्राम रेवाड़ा तहसील रायपुर के अनुरूप वर्तमान आराजी संख्या 770, 771 के नक्शे में तरमीम कराया जाकर साबिक नक्शे के अनुरूप वर्तमान नक्शे में दुरस्ती करायी जाने का आदेश तहसीलदार रायपुर को प्रदान कराया जावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को नोटिस जारी किया गया नोटिस की पालना में विपक्षी क्रमांक 1 लगायत 7 व 9, 10 बावजुद सूचना के उपस्थित नही होने से एक तरफा कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया एवं विपक्षी संख्या 8 से कोई अनुतोष नही चाहा गया है। विपक्षी संख्या 12 से 15 फोरमल पक्षकार है एव विपक्षी संख्या 11

की ओर से जवाब पेश किया जो शामिल पत्रावली है। विपक्षी संख्या 11 ने अपने जवाब में कथन किया कि प्रार्थी व विपक्षी संख्या 1 व 2 की साबिक आराजी नम्बर 281 समचोरस नही होकर उत्तर दक्षिण की भुजा कम व पूर्व पश्चिम की भुजा लम्बी है। साबिक आराजी नम्बर 281 के मुकाबले नवीन नक्शा बनाया गया जो सही है विपक्षी को परेशान करने की नियत से गलत प्रार्थना पत्र पेश किया प्रार्थी की हाल आराजी नम्बर 770 व 771 का नक्शा छोटा नही किया है ओर न ही विपक्षी संख्या 3 से 11 की हाल आराजी नम्बर 758 व 759 में रकबा मिला प्रार्थी द्वारा गलत वाद पेश किया है एवं मजीद कथन के रूप में निवेदन किया कि आपस मे इकरार नामा भी लिखा गया है कि हम अपने हक पर काबिज रहेंगे जान बुजकर किसी को नुकसान नही करेंगे। अतः प्रार्थना पत्र खारीज फरमावे।

प्रकरण में तहसीलदार रायपुर द्वारा मौका रिपोर्ट प्रस्तुत की गई जो शामिल पत्रावली है। तहसीलदार रायपुर द्वारा मौका रिपोर्ट में अंकन किया कि वादी ने ग्राम रेवाड़ा की सीमा में स्थित आराजी 770 रकबा 0.20 है0 आराजी संख्या 771 रकबा 0.21 है0 की कुल किता 2 रकबा 0.41 है0 को साबिक नक्शानुसार दुरस्त करने हेतु आवेदन वाद दायर किया है वर्तमान नक्शे एवं रेकार्ड अनुसार निरीक्षण किया मौका स्थिति अनुसार आराजी 770 के नक्शे की स्थिति कब्जानुसार पश्चिमी मेड़ जो आराजी 759, 757 से लगती हुई उसमें तफावत पायी गई जिसे नक्शे में लाल स्याही से दर्शाया गया आराजी 771 की आकृति व कब्जा सही है। आराजी नम्बर 770 रकबा 0.20 है0 वर्तमान नक्शे अनुसार रकबा बरारी करने पर कम बैठता है। मौका स्थिति एवं कब्जेनुसार पश्चिमी मेड़ को आराजी 757 व 759 की तरफ तरमीम करने पर रकबा बराबर हो जाता है। वादी का मौका स्थिति एवं साबिक नक्शानुसार आराजी 770 की आराजी 757 व 759 की लगती मेड़ को तरमीम करवाकर सही कराना चाहता है।

प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाने का निवेदन किया गया।

मैने पत्रावली का अवलोकन किया पत्रावली में संलग्न साबिक राजस्व रेकार्ड एवं तहसीलदार रायपुर द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट पर मनन किया तो पाया कि तहसीलदार रायपुर की मौका रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी का कब्जा साबिक आराजी नम्बर 281 के अनुसार ही है किन्तु राजस्व नक्शे में 770 की पश्चिम मेड़ को सकड़ी कर देने से नक्शे एवं मौके में अन्तर आ रहा है जो तहसीलदार रायपुर की रिपोर्ट के साथ सलंग्न नक्शा ट्रेस में लाल स्याही से प्रदर्शित मेड़ से स्पष्ट हो रहा है। चुकि साबिक आराजी नम्बर 281 की पश्चिमी मेड़ साबिक आराजी नम्बर 280 की सीध से आ रही है और वर्तमान राजस्व नक्शे में स्थित खसरा नम्बर 779 की पश्चिम मेड़ की सीध से ही पश्चिमी सीमा का निर्धारण करते हुए राजस्व नक्शे में दुरस्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाकर आदेश दिया है कि पटवार हल्का बोरियापुरा ग्राम रेवाड़ा के साबिक नक्शे मे अकिंत खसरा नम्बर 281 के पश्चिमी मेड़ के अनुसार नवीन आराजी नम्बर 770 की पश्चिमी मेड़ आराजी नम्बर 769 की पश्चिमी मेड़ की सीध से मिलाते हुए एवं कब्जे को ध्यान में रखते हुए बिना किसी के कब्जे में दखल किये राजस्व नक्शे में दुरस्ती की जावे। पालनार्थ तहसीलदार रायपुर को आदेश की प्रति के साथ लिखा जावें।

निर्णय आज दिनांक 06.08.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

6.8.2020

सुन्दरलाल बम्बोडा
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा

सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर (भीलवाड़ा)

सत्यमेव जयते

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रायपुर

पीठासीन अधिकारीः—सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः—14 / 2015 (2015 / 00099) प्रार्थना पत्र

उनवान

1—बेणीराम आत्मज हेमराज ब्राहम्ण निवासी रेवाड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रार्थी

बनाम

1—उदयलाल आत्मज उंकारलाल ब्राहम्ण निवासी रेवाड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2—विमलादेवी पत्नि जगन्नाथ ब्राहम्ण निवासी रेवाड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3—बंशीलाल आत्मज किशनलाल ब्राहम्ण निवासी रेवाड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4—शान्तिलाल आत्मज किशनलाल ब्राहम्ण निवासी रेवाड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5—नन्दलाल आत्मज किशनलाल ब्राहम्ण निवासी रेवाड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
6—प्रकाश आत्मज किशनलाल ब्राहम्ण निवासी रेवाड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
7—गीता बेवा किशनलाल ब्राहम्ण निवासी रेवाड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
8—गोकल आत्मज उदयलाल ब्राहम्ण निवासी रेवाड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
9—रामलाल आत्मज उदसलाल ब्राहम्ण निवासी रेवाड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
10—नोजी बेवा नानुराम ब्राहम्ण निवासी रेवाड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
11—स्याणीबांई पत्नि मोतीलाल ब्राहम्ण निवासी रेवाड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
12—एस.बी.बी.जे. शाखा आमली तहसील सहाड़ा जरिये शाखा प्रबन्धक
13—बैक ऑफ बड़ौदा शाखा रायपुर तहसील रायपुर जरिये शाखा प्रबन्धक
14—बैक ऑफ बड़ौदा शाखा आशाहोली तहसील रायपुर जरिये शाखा प्रबन्धक
15—राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा:136 राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट.

प्रेषित :—तहसीलदार रायपुर हुक्मनामा इन्द्राज दुरस्ती बाबत्

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता हैं कि पटवार हल्का बोरियापुरा ग्राम रेवाड़ा के साबिक नक्शे मे अकिंत खसरा नम्बर 281 के पश्चिमी मेड़ के अनुसार नवीन आराजी नम्बर 770 की पश्चिमी मेड़ आराजी नम्बर 769 की पश्चिमी मेड़ की सीध से मिलाते हुए एवं कब्जे को ध्यान में रखते हुए बिना किसी के कब्जे में दखल किये राजस्व नक्शे में दुरस्ती की जावे। पालनार्थ तहसीलदार रायपुर को आदेश की प्रति के साथ लिखा जावें।

हुक्मनामा आज दिनांक 06.08.2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मोहर से जारी किया।

6.8.2020

(सुन्दर लाल बम्बोडा)
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर, जिला भीलवाड़ा

सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) रायपुर (भीलवाड़ा)

सत्यमेव जयते

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2020.08.24 14:33:30 IST
Reason: SelfAttested
Location: